

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 02/9/26

विषय:- पथ निर्माण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल
₹ 1,07,00,000/- (एक करोड़ सात लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-10, दिनांक-28.04.2026 द्वारा ₹ 32,00,000/- एवं पत्रांक-65, दिनांक-07.08.2026 द्वारा ₹ 75,00,000/- अर्थात् कुल ₹ 1,07,00,000/- (एक करोड़ सात लाख रुपये) का आवंटन भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03, पटना द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पथ निर्माण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 1,07,00,000/- (एक करोड़ सात लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र	भवन प्रमंडल का नाम	अध्याचना आई०डी ० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	विपत्र कोडवार प्रस्तावित राशि		वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि (6+7)
					41-50540 33370102	41-50540 37890101	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03, पटना	31802	SITC of Audio, Visual System for Confrence Hall of RCD at First Floor of Vishweshwaraiya Bhawan	8260 / 27.09.25	57,27,770	25,00,000	82,27,770 / - (बेयासी लाख सताईस हजार सात सौ सत्तर रुपये)
2.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03, पटना	33877	SITC of Cassete type AC and Computer Networking system in Meeting Hall and one room of RCD at 1st Floor Vishweshwaraiya Bhawan, Patna.	8262 / 27.09.25	10,58,119	4,20,000	14,78,119 / - (चौदह लाख अटहत्तर हजार एक सौ उन्नीस रुपये)
3.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03, पटना	33878	Renovation of E/W & E/I in Meeting Hall and one room of RCD at 1st Floor Vishweshwaraiya Bhawan, Patna.	8262 / 27.09.25	7,14,111	2,80,000	9,94,111 / - (नौ लाख चौरानवे हजार एक सौ ग्यारह रुपये)
कुल							1,07,00,000 / -

(एक करोड़ सात लाख रुपये)

- इस राशि की निकासी एवं व्यवयन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-03, पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध उप आवंटन की कार्यवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।